तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से मूलवाद में अधि. श्री मांगीलाल सेन द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 17/1/25 को पेश हो। 10/1/25	
17/1/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 5/2/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
5/2/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/2/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
10/2/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधि. उप.। पत्रावली में उभयपक्षकारान् अधि. की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दौराने वाद भूमि का अन्तरण किये जाने से प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि में रजिस्ट्रीकृत भू-भाग का दीवार बनाकर अपना कब्जा स्थापित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी के रास्ते पर जाने-आने का मार्ग बाधित —लगातार— 10/2/25	

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

10/2/25 होने पर प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग-उपभोग सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः अप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के निस्तारण तक भूमि के विशिष्टीकृत भू-भाग पर दीवार निर्मित कर कब्जा करने से रोका जावे तथा अप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के निस्तारण तक भूमि का अन्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व वाद पत्र पेश किया गया था तथा वादपत्र/प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मुख्य भूमि का बेचान दि. 11/3/2010 किया गया था। प्रार्थी द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र को पेश किया गया है तथा भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19/4/2010 को निष्पादित हो चुका था। साथ ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि मूल खातेदारों से क्रय की गई है तथा मूल खातेदार जिस प्रकार मौके पर काबिज थे, उसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया गया है। अतः कोई भी किसी भी पक्षकार के हक हिस्से पर कब्जा नहीं कर रहा है। अतः सहखातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा को जारी नहीं किया जावे तथा पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायनिर्णयन तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाना होता है। उक्त तीन बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है:—

1. <u>प्रथमदृष्टया मामला</u> :- प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्टीकृत भू-भाग पर दीवार बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा रास्ते की ओर की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण के रहने पर विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि मूल खातेदारों से क्रय की गई है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा जिस प्रकार भूमि मूल खातेदारों से क्रय की गई, उसी प्रकार काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा

— लगातार —

[signature] 10/2/25

प्रकरण सं. 53/2010

सीतादेवी उनवान मधुमति वगै०

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।	

2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति</u> :- उक्त बिन्दुओं का न्यायनिर्णयन हेतु एक साथ निस्तारण किया जाना उचित होने से निस्तारित किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस निवेदन किया गया कि यदि अप्रार्थी सं. 1 को दौराने वाद भूमि की चारदीवारी का निर्माण कर कब्जा करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि अप्रार्थी एक हिस्से विशेष पर काबिज हो जायेगा जो अनुचित होगा। साथ ही इससे प्रार्थी के हित के विपरीत सुविधा का संतुलन उत्पन्न हो जायेगा क्योंकि अप्रार्थी बाहुबल के आधार पर प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि तक पहुंच से रोक देगा। जिससे प्रार्थी के हितों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि प्रकरण में दिनांक 11/3/2010 से अर्थात् लगभग 15 वर्षों से प्रार्थीगण के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय द्वारा जारी की हुई है। चूंकि सहखातेदार द्वारा भूमि का अंतरण वादपत्र पेश होने से पूर्व ही कर दिया गया था, परन्तु राजस्व जमाबंदी में नामान्तरण आदेश का अंकन होने से पंजीकृत विक्रय पत्र का अमल दरामद नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में सहखातेदार क्रेता के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे क्योंकि सहखातेदार क्रेता के द्वारा पूर्ववर्ती खातेदार की कब्जाशुदा भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया गया है। अतः यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का विकास करने, लोन लेने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी को दीर्घकालीन नुकसान होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में प्रथमदृष्टया असफल रहा है। साथ ही प्रार्थी लगभग 15 वर्ष से अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रहा था। अतः अब अस्थाई निषेधाज्ञा में वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है।

— लगातार —

10/2/25

सहा[illegible]

भीलवाड़ा

दिनांक	
10/2/25	53/2010 सीतादेवी बनाम मधुमाली

आदेश

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उपरोक्त विवेचनानुसार खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

10/02/25

...क...र
भीलवाड़ा